



प्रेषक,

अभय प्रताप श्रीवास्तव,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,

लोक निर्माण विभाग,

30प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11

लखनऊ : दिनांक 18-10-2026

विषय:- जनपद लखनऊ में माल भरावन मार्ग(अन्य जिला मार्ग) के चैनेज 0.000 से 8.700(लम्बाई-8.700 किमी0) तक का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्यकी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-2182नि0/131-01नि0/भाग-4/26-27, दिनांक 31-08-2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदेश के प्रमुख/अन्य जिला मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण योजनान्तर्गत अन्तर्गत जनपद लखनऊ में माल भरावन मार्ग(अन्य जिला मार्ग) के चैनेज 0.000 से 8.700(लम्बाई-8.700 किमी0) तक का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य की 05 वर्षीय अनुरक्षण सहित व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 3288.46 लाख(रूपये बत्तीस करोड़ अठ्ठासी लाख छियालिस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए लागत के सापेक्ष रू0 328.84 लाख (रूपये तीन करोड़ अठ्ठाईस लाख चौरासी हजार मात्र) को व्यय हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तों/प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रुपये लाख में)

क्र0 सं0	जनपद/ खण्ड का नाम	कार्य का विवरण	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि		
				अनु0-58	अनु0-83	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	लखनऊ नि0ख0-2	जनपद लखनऊ में माल भरावन मार्ग(अन्य जिला मार्ग) के चैनेज 0.000 से 8.700(लम्बाई-8.700 किमी0) तक का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य ।	3288.46	259.09	69.75	328.84

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
- (2) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (3) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में न रखी जाय। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।
- (4) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की अवशेष लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा)) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित के शासनादेश सं0-ए-2-1606 /दस-2014-17(4)/75 दिनांक 11.11.2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25.01.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित संबंधित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक में ट्रांसफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा। लेखाशीर्षक "1054 सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्ति-01 प्रतिशतता प्रभारों की वसूली में जमा की जायेगी।
- (5) परियोजनान्तर्गत सुनियोजित विकास, सुरक्षा, सौन्दर्यीकरण अथवा किन्हीं अन्य विशिष्ट कारणों से पूर्व में कराये गये निर्माण का ध्वस्तीकरण आवश्यक एवं अपरिहार्य होने पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही लोक निर्माण अनुभाग-5, 30प्र0शासन के शासनादेश संख्या-158/2023/993/23-5-23-50(40)ईजी/08, दिनांक 12-09-2023 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार सुनिश्चित की जायेगी।
- (6) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य विभागीय नियमों/मानकों के अनुरूप कराया जाय।
- (7) परियोजना निर्माण कार्यों हेतु जो भूमि प्रयुक्त की जायेगी, उसका पूर्णतः सरकारी/लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में होना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (8) परियोजनान्तर्गत निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार से किसानों की निजी कृषि भूमि का उपयोग उनकी सहमति प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु स्वीकृति भूमि उपयोग के संबंध में किसानों की सहमति प्राप्त करने के बाद ही निर्गत की जायेगी। भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में करने की जिम्मेदारी संबंधित अधिशासी अभियन्ता की होगी। अगर भविष्य में भूमि संबंधी कोई देयता सृजित होती है तो उसके लिए संबंधित अधिशासी अभियन्ता को जिम्मेदार मानते हुए उनसे भू राजस्व की भाँति रिकवरी भी सुनिश्चित की जायेगी।
- (9) क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा समस्त विधिक पहलुओं पर आश्वस्त होते हुए न्यूनतम आवश्यकता एवं सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन भूमि अध्याप्ति/अधिग्रहण सुनिश्चित किया जाये।
- (10) परियोजना से संबंधित कार्य हेतु निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण करती है, यह सुनिश्चित करने के उपरान्त ही स्वीकृति निर्गत की जायें।
- (11) परियोजना को शासनादेश निर्गत होने की तिथि से बैठक में निर्धारित समयान्तर्गत (18 माह) पूर्ण करना व भविष्य में परियोजनाओं को पुनरीक्षण न किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (12) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि नियमानुसार भुगतान किया जायेगी।
- (13) मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेगी। परियोजना के संबंध में मुख्य अभियन्ता एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा अवगत कराये गये सभी बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (14) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस- 2021-10/99 दिनांक 22 मार्च, 2021 का यथावश्यकतानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा प्रायोजना की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
- (15) प्रायोजना में यूटिलिटी शिफ्टिंग के अन्तर्गत विद्युत विभाग हेतु 79.09 लाख तथा वन विभाग हेतु ₹0 34.14 लाख की धनराशि सम्मिलित की गयी है। यूटिलिटी शिफ्टिंग से सम्बन्धित कार्यों का Verification

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

& revalidation क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा स्वयं करते हुए न्यूनतम आवश्यकता एवं वास्तविक व्यय के आधार पर सुनिश्चित किया जाय। साथ ही यूटिलिटी शिफ्टिंग करने हेतु एन0एच0ए0आई0 के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य इस प्रकार सुनिश्चित किया जाय कि भविष्य में मार्ग के चौड़ीकरण में व्यवधान उत्पन्न न हो तथा यूटिलिटी शिफ्टिंग की पुनः आवश्यकता न हो।

(16) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की धनराशि सम्मिलित की गयी है। प्रशासकीय विभाग का दायित्व होगा कि भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी०एस०टी० का भुगतान सुनिश्चित कराये। साथ ही प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट/स्टील/बिटुमिन इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी०एस०टी० का भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं0-2/2022/ई- 8-202/दस-2022, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(17) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त यथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा, जिसका उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(18) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में पुल/पुलियों का इक्सटेंशन तथा नाला-नाली आदि का निर्माण का प्राविधान किया गया है। भविष्य में मार्ग के चौड़ीकरण की सम्भावना के दृष्टिगत मार्ग के संरेखण में आने वाले पक्के स्ट्रक्चर (पुल/पुलिया/नाली इत्यादि) का निर्माण आई०आर०सी०/विभागीय मानकों में पूर्व निर्धारित फारमेशन विड्थ (चौड़ाई) के अनुसार ही कराया जाये।

(19) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किशत मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किशत जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किशतें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जाये।

(20) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए लागत का आंकलन किया गया है। उक्त विषयों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्यों आदि का प्राविधान करना, मार्ग की लम्बाई/चौड़ाई/क्रस्ट डिजाइन में परिवर्तन, अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि शासन/व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(21) प्रायोजनान्तर्गत निर्माण कार्यों की गुणवत्त सुनिश्चित किये जाने हेतु थर्ड पार्टी क्वालिटी कंट्रोल/ऑडिट का प्राविधान किया गया है। अतः थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट (TPQA) हेतु मानक संचालन प्रक्रिया के सम्बन्ध में वित्त लेखा अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-4/2026/ए-2-22/दस-2026/1960262/2026, दिनांक 07 मई, 2026 तथा अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, 30प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 01 जुलाई, 2026 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त(नियोजन अनुभाग-1, 30प्र0 शासन के पत्र सं0-83ई0पी0सी0/35-1-2026 दिनांक 15 जुलाई, 2026) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(22) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य की द्वावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की तकनीकी स्वीकृति से पूर्व विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (23) लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (24) व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णता अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (25) परियोजना पूर्ण होने में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होने अथवा भविष्य में परियोजना की लागत में वृद्धि की दशा में इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, मुख्य अभियंता(मु0-1), लो0नि0वि0 व संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का होगा ऐसी दशा में लागत में बढ़ोत्तरी की कुल धनराशि की वसूली संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं आदि के वेतन से भूराजस्व की भाँति की जायेगी।
- (26) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28-03-2026 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (27) परियोजना के संबंध में प्रभावी समस्त संगत विभागीय नियमों/मानकों/शासनादेशों इत्यादि का पूर्णतः अनुपालन व गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा प्रस्तुत परियोजनाओं से संबंधित संगत सूचनाएं विश्वकर्मा व सृष्टि पोर्टल पर अपडेट किये जाने अथवा पूर्व में ही स्वीकृत है, यह सुनिश्चित करने का दायित्व प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, मुख्य अभियंता(मु0-1) एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का होगा।
- (28) प्रायोजना में प्रस्तावित मार्ग की लेपित चौड़ाई एवं फारमेशन चौड़ाई इत्यादि तथा पक्के स्ट्रक्चर्स यथा- पुल, पुलिया, ड्रेन इत्यादि का निर्माण IRC/ लोक निर्माण विभाग के सुसंगत मानकों (Standard) के अनुसार कराये जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।
- (29) सेन्टेज चार्ज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से संबंधित वित्तीय प्रबंधन विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17.05.2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19.05.2023 में निर्धारित प्रक्रिया एवं निहित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (30) प्रायोजना प्रस्ताव में 2.50 प्रतिशत की दर से मेन्टीनेन्स चार्ज अनुमन्य किया गया है। क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा समस्त मार्गों के अनुबन्धों में 5 वर्षीय अनुरक्षण हेतु भुगतान प्रक्रिया का मानकीकरण से सम्बन्धित लोक निर्माण विभाग के पत्र संख्या-3689सी-ओ०पी०एम० आर०सी०/मूल 23-24. दिनांक 17.02.2024 में दी गयी मदों/व्यवस्थानुसार मेन्टीनेन्स तथा मेन्टीनेन्स चार्ज पर जी०एस०टी० का नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि परियोजना का भविष्य में मरम्मत, विशेष मरम्मत व पुनरीक्षण संबंधी प्रस्ताव शासन के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रेषित नहीं किये जायेंगे और यह सुनिश्चित करने का दायित्व प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, मुख्य अभियंता(मु0-1), एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का होगा।
- (31) परियोजना की लागत व समय सीमा में बढ़ोत्तरी न हो, इस हेतु परियोजनाओं के निर्माण कार्य की साप्ताहिक समीक्षा संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता द्वारा एवं माह कम से कम एक बार समीक्षा विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 के स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
- (32) उपरिलिखित सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, मुख्य अभियंता(मु0-1) एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का होगा। यदि किन्हीं शासनादेशों एवं नियमों से विचलन की स्थिति उत्पन्न होती है तो इसके लिए विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होंगे।
- (33) प्रश्नगत परियोजना को सी0एम0आई0एस0 पोर्टल पर पंजीकृत कर दिया गया है, जिसका पंजीकरण संख्या- 202600003104653 है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय (1) रुपये 2,59,09,000(रुपये दो करोड़ उनसठ लाख नौ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 58 लेखा शीर्षक 5054033371328 प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के उच्चीकरण के नये कार्य हेतु एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य (2) रुपये 69,75,000(रुपये उनहत्तर लाख पचहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054037890500 राज्य प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के नये कार्य हेतु एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-8-364-X-2026-27, दिनांक 09-10-2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)

उप सचिव।

संख्या व दिनांक यथोपरि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
- 4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज ।
- 5- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
- 6- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 7- मुख्य अभियन्ता (मु०-1)/(सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 8- संबंधित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 9- संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी ।
- 10- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 11- वित्त व्यय (नियंत्रण) अनु०-8/वित्त आय-व्ययक अनु०-1, उ०प्र० शासन।
- 12- राज्य योजना आयोग- 1/2, उ०प्र० शासन ।
- 13- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 14- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ०प्र० शासन ।
- 15- नोडल अधिकारी (ऑन लाईन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लो०नि०वि०, उ०प्र० शासन।
- 16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।